भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3599

दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय उत्पादों का मानकीकरण

3599. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्वीकृत उत्पादों की उत्पादन प्रक्रियाओं अथवा स्रोत सामग्री में कोई सुधार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोई समझौता किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भविष्य में भारतीय उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को रोकने के लिए सरकार की कोई दीर्घकालिक योजना है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों का निर्यात आयातक देशों के विनियमों और मानकों के अध्यधीन होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपाय और उन्नत प्रौद्योगिकियां कार्यान्वित की गई हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (आईईसी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। भारतीय मानकों को विकसित और उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए बीआईएस इन संगठनों की तकनीकी समितियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। एक भागीदार सदस्य के रूप में बीआईएस को भारतीय मानकों के रूप में आईएसओ/आईईसी मानकों को अंगीकार करने का अधिकार है। इन मानकों को अपनाने से भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता के मानकों में सुधार करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, खाद्य सुरक्षा मानकों और विभिन्न आयातक देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में संबंधित हितधारकों के लिए आवधिक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

***